न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 103 / 2018

प्रार्थी
जुहारमल पुत्र सांकलाजी जाति राजगर ब्राहाण आयु व्यस्क निवासी फुंगणी तहसील व जिला सिरोही राज.

बनाम

अप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 26 –8–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 6–11–2018 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों की संयुक्त कबजे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि मौजा फुंगणी पटवार हल्का फुंगणी तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार निम्न प्रकार से है :–

(अ)

खाता संख्या नया	पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
73	62	228	0.8300 हैक्टेयर	चाही I
		231	0.5400 हैक्टेयर	चाही I
		242	0.3700 हैक्टेयर	चाही I

कुल किता 03 कुल क्षैत्रफल 1.7400 हैक्टेयर

(ब)

खाता संख्या नया	पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
74	63	561	0.0800 हैक्टेयर	गै.मु. खड्डा
		562	1.2300 हैक्टेयर	चाही 2
		563	1.3300 हैक्टेयर	चाही 2
		564	0.1100 हैक्टेयर	गै.मु. चाह
		565	0.0200 हैक्टेयर	गै.मु. रास्ता
		566	0.6500 हैक्टेयर	चाही 2
		609	0.6400 हैक्टेयर	पडत I
		610	0.7800 हैक्टेयर	बारानी I
		611	0.7700 हैक्टेयर	बारानी I
		612	0.9800 हैक्टेयर	पडत I

कुल किता 10 कुल क्षैत्रफल 6.5900 हैक्टेयर

(स)

खाता संख्या नया	पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
75	64	197	1.2000 हैक्टेयर	

उपरोक्त वर्णित आराजी मे राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार जुहाराराम पुत्र सांकलाजी दर्ज है जो सांकला पुत्र लालाजी की मृत्यु बाद उनके वारिसान मे नामान्तकरण दर्ज के समय राजस्व कर्मचारियों की भूल से खातेदार जुहारमल पुत्र सांकलाजी के स्थान पर गलत नाम जुहाराराम पुत्र सांकलाजी दर्ज कर दिया है। सांकला पुत्र लालाजी की मृत्यु दिनांक 17–6–1998 को हो चुकी है। उपरोक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी है। जिसमे प्रार्थी के नाम बतौर वारिसदार नामान्तकरण दर्ज कर समय उपरोक्त वर्णित आराजी मे खातेदार जुहारमल के स्थान पर जुहाराराम का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे राजस्व कर्मचारियां की भूल व त्रुटिवश दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज जुहारमल पुत्र सांकलाजी के नाम से बने हुये है एवं प्रार्थी की अन्य खातेदारी मौजा तंवरी व फुंगणी मे भी स्थित है उसमे भी बतौर खातेदार जुहारमल के नाम से इन्द्राज है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से राजस्व रेकर्ड मे जुहारमल पुत्र सांकलाजी के स्थान पर जुहाराराम पुत्र सांकलाजी का गलत इन्द्राज कर देने से प्रार्थी को अकारण परेशालनी का सामना करना पड रहा है। उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु कई बार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को निवेदन किये गये लेकिन बावजूद निवेदन आज दिन तक अप्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड मे उक्त त्रुटि को सुधारकर सही इन्द्राज जुहाराराम के स्थान पर जुहारमल नही करने से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार

लैण्ड रिकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

फरमाया जाकर ग्राम फुंगणी तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि प्रार्थनापत्र पद संख्या 01 के (अ) (ब) एवं (स) मे मे वर्णितानुसार है उसमे खातेदार का नाम गलत इन्द्राज जुहाराराम पुत्र सांकलाजी के स्थान पर जुहारमल पुत्र सांकलाजी के दर्ज करने हेतु अप्रार्थी को निर्देश दिलाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 73,74,75, आधारकार्ड जमाबंदी संवत 2067 से 2070 ,मृत्यु प्रमाण पत्र ,निर्वाचन पहचान पत्र की प्रति जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 72 राशनकार्ड की प्रति की प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 6–11–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

इस न्यायालय मे दिनांक 17–12–2018 को विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही को नोटिस प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही ने जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समया दिया गया विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 13–8–2019 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने जरिये पत्र कमांक विधि/2019/552 दिनांक 13–8–2019 के द्वारा जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार ,सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या अ,ब,स मे वर्णित कृषि आराजी का विवरण ग्राम फुंगणी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या कमशः73,74,व 75 के अनुसार सही है तथा प्रार्थी श्री जुहाराराम पुत्र सांकलाजी जाति राजगर ब्राहाण सा.फुंगणी अन्य खातेदारों के साथ सह–खातेदार है। प्रार्थी का यह कथन भी सतय है कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे उनके पिताजी श्री सांकला पुत्र लालाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार का नामान्तकरण दर्ज करते समय लिखा गया था । प्रार्थी का यह कथन भी सत्य है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित कृषि आराजी पुश्तैनी है एवं उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे उनके पिताजी श्री सांकलाजी पुत्र लालाजी की मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तकरण के दर्ज किया गया है। प्रार्थी को यह चाहिये था ि कवे उनके पिताजी श्री सांकलाजी पुत्र लालाजी की मृत्यु के परान्त उनके पिताजी के समस्त उत्तराधिकारियों के नामों की सही जानकारी पटवारी हल्का तत्कालीन फुंगणी को उपलब्ध करवाते । पुनःश्च जुहाराराम पुत्र सांकलाजी की जगह जुहारमल पुत्र सांकलाजी दर्ज किया जाना उचित होना बताया है।

इस न्यायालय मे दिनांक 13–8–2019 को विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार ,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार,कालन्द्री) द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट पर अंतिम बहस सुनने का निवेदन करने से वकील प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 73,74,75, आधारकार्ड जमाबंदी संवत 2067 से 2070 ,मृत्यु प्रमाण पत्र ,निर्वाचन पहचान पत्र की प्रति जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 72 राशनकार्ड की प्रति की प्रतियों का अवलोकन कर उस पर मनन किया । अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही के जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर भी मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त सभी दस्तावेजात प्रतियों के आधार पर तहसीलदार,सिरोही ने प्रार्थी जहाराराम पुत्र सांकलाजी की जगह जुहारमल पुत्र सांकलाजी दर्ज किया जाना उचित बताया है। उक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का सही नाम जुहारमल पुत्र सांकलाजी है जबकि राजस्व कर्मचारियो ने भूल व त्रुटिवश प्रार्थी का गलत नाम जुहाराराम पुत्र सांकलाजी गलत नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थी के उक्त नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य मे प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा भविष्य मे उक्त मामले मे कानूनी उलझने पैदा हो सकती है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलादार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि ग्राम फुंगणी पटवार हल्का फुंगणी तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित प्रार्थी व अन्य सहखातेदारां की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित बिन्दु संख्या (अ),(ब)व (स) की कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थी खातेदार का नाम गलत इन्द्राज जुहाराराम पुत्र सांकलाजी के स्थान पर जुहारमल पुत्र सांकलाजी दर्ज कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह मे इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 26–8–2019 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम,व न्यायालय की गोल मुहार से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)